



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP01943479615020V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP01943479615020V
Certificate Issued Date	30-Aug-2023 03:49 PM
Account Reference	NEWIMPACC (SV)/ up14232604/ SAIDPUR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	SUBIN-UPUP1423260499466770883023V
Purchased by	B P COLLEGE OF PHARMACY GAURA UPARWAR CHAUBEPUR V
Description of Document	Article 4 Affidavit
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	
First Party	B T E LUCKNOW
Second Party	B P COLLEGE OF PHARMACY GAURA UPARWAR CHAUBEPUR V
Stamp Duty Paid By	B P COLLEGE OF PHARMACY GAURA UPARWAR CHAUBEPUR V
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)

Serial No. 1453
Date 30-8-2023



NOTARIAL
NO. 1453
SAIDPUR UP



Signature 37794
AO Name: Anil Kumar Singh Yadav
AO Code: UP14232604
AO Add: Saipur-Ghazipur
Mob. 9462439639 L No: 50
Tehsil: Saipur Dist: Ghazipur



Dr. T. S. T. S.

The document is certified to be true in accordance with the laws of India. It is issued under the authority of the State Government of Uttar Pradesh. The stamp is valid for the period of one year from the date of issue. Please refer to the terms and conditions for more details.

प्रारूप अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम फूलचन्द यादव (अध्यक्ष) एवं जितेन्द्र कुमार यादव (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं बी०पी० संस्थान लेहूपुर आशापुर वाराणसी उ०प्र० शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट — बी०पी० संस्थान लेहूपुर आशापुर वाराणसी उ०प्र० द्वारा बी०पी० कालेज ऑफ फार्मेसी गौरा उपरवार चौबेपुर वाराणसी उ०प्र० नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम स्थित ग्राम गौरा उपरवार, चौबेपुर, वाराणसी उ०प्र० में गाठा स०— 30क, 30ख, 267 / 1, 34, 276 रकबा क्रमशः 0.8465 हेक्टेअर (कुल रकबा 0.8465 हेक्टेअर) भूमि दर्ज है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं खल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा स०— 30क, 30ख, 267 / 1, 34, 276 रकबा क्रमशः 0.8465 हेक्टेअर (कुल रकबा 0.8465 हेक्टेअर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.01.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध



फूलचन्द

जिल्हे

कोई अन्य संस्थान/विद्यालय महाविद्यालय/ आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
 11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी/द्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ से पूर्ण कर लिया जायेगा।
 12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
 13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊगा।

६० सचिव

Chairman/Secretary
B.P. Sansthan
Varanasi

400-4

ह० अध्यक्ष
Chairman/Secretary
B.P. Sansthan
Varanasi

